न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)

मि.न. 19/2021 दिनांक 5.4..2021

सरकार बनाम सुभाष वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिमनपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 575/0.26 व 580/0.19है0 किस्म बारानी –2पर भूमि पर सुभाष, शिम्भूदयाल, बुद्वराम, कैलाश, फूलचन्द पुत्रान नाराराम जाति ब्राहम्ण निवासी भोपतपुरा ने सरसों फसल काश्त कर अतिकमण कर लिया हैं।

अतः रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायलान उपस्थित आये गैरसायल शिम्भूदयाल ने जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल ने अपने जबाब में कथन किया है पटवारी हल्का ने गलत बेबुनियाद रिपोर्ट पेश की है खसरा नंबर 575/0.26 वाके मौजा भोपतपुरा को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 24.6.1999 को अलाट कर कब्जा संभलाया गया था तब से आज तक उक्त आराजीयात को काबिज कास्त करता चला आ रहा है आज भी मौके पर सरसों की फसल खड़ी है अतःकार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाने की इस्तदुआ की है। गैर सायल द्वारा भू–आवंटन सलाहकार समिति की कार्यवाही रजिस्टर की छाया प्रति संलग्न की गई जो संलग्न पत्रावली की गई। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जबाब के संदर्भ में भू–अभिलेख निरीक्षक सरूण्ड से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई । भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 575/0.26,580/0.19 मुताबिक राजस्व रिकार्ड किस्म बारानी –2 सिवायचक भूमि दर्ज है जिस पर गैरसायलान ने सामुहिक रूप से आपसी सहमति से सरसों की फसल कास्त की गई है। मुतबिक राजस्व रिकार्ड रिपोर्ट सही की गई है। हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गोर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल द्वारा खसरा नंबर 575/0.26 है0 भूमि का कोई आवंटन पट्टा पेश नहीं किया गया। जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष प्रदान किया जा सके जबकि वर्तमान में उक्त खसरा नंबरान बारानी–2 सिवायचक दर्ज है जिस पर गैर सायलान का अतिकमण किया जाना स्वतः ही सिद्व होता है अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

सन 20..-20.. के रा० न०
के पृष्ठ संख्या 33 पर 720
दर्ज कायम किये गये।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

अतः गैर सायलान सुभाष, शिम्भूदयाल, बुद्वराम, कैलाश, फूलचन्द पुत्रान नाराराम जाति ब्राहम्ण निवासी भोपतपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम भोपतपुरा के ख0 नं0 575/0. 26,580/0.19है0 किस्म बारानी–2 सिवायचक भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई फसल सरसों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 14.4रू. का पचास गुणा 720 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते बेदखली फसल निलामी, आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.4.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)